मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3702
24.03.2025 को उत्तर के लिए

पचपदरा शोधनसंयंत्र के कारण प्रदूषण

3702. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रस्तावित राजस्थान पचपदरा शोधनसंयंत्र की इकाइयों के प्रचालन से प्रदूषण की समस्या और बढ़ने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो क्या इससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
(ग) सरकार द्वारा पचपदरा शोधनसंयंत्र के आस-पास के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या वर्ष 2018 में पचपदरा शोधनसंयंत्र का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए कंपनियों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;
(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या पचपदरा शोधनसंयंत्र और आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार पेट्रोलियम रिफाइनरियों को अपनी स्थापना से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्रालय ने दिनांक 27 सितंबर, 2013 को "मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पचपदरा तहसील, जिला बाड़मेर (राजस्थान) में ग्रास रूट राजस्थान रिफाइनरी सह

पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना (आरआरपीसी) की स्थापना" नामक परियोजना के लिए जन परामर्श सहित विचारार्थ विषय जारी किए हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2014 को जन परामर्श किया गया है। इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दिनांक 13 सितंबर, 2017 को प्रदान की गई थी। दिनांक 16 जून, 2023 को पर्यावरण मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया का विधिवत् पालन करके मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मेसर्स एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को उपर्युक्त पर्यावरणीय मंजूरी हस्तांतरित कर दी गई थी।

ऐसी परियोजनाओं से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पेट्रोलियम रिफाइनरियों के लिए बहि:स्राव एवं उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

ii. सभी पेट्रोलियम रिफाइनरियों के लिए पर्याप्त अपशिष्ट शोधन प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने तथा निर्धारित बहि:स्राव और उत्सर्जन निस्सरण मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उन उद्योगों, जो अधिसूचित अपशिष्ट और उत्सर्जन निस्सरण मानकों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, को निदेश/कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है।

iii. सभी पेट्रोलियम रिफाइनरियों के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से संचालन की सहमति (सीटीओ) जारी करने के बाद ही संचालन करना अनिवार्य है। ये सीटीओ संबंधित एसपीसीबी द्वारा इकाई में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालन के बारे में पूर्णत: संतुष्ट होने के बाद ही जारी किए जाते हैं।

iv. सीपीसीबी ने पेट्रोलियम रिफाइनरियों सहित उच्च प्रदूषण की संभावना वाले सभी 17 श्रेणियों के उद्योगों को सीपीसीबी से रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/ उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निदेश दिया है। सीपीसीबी, ओसीईएमएस के मानकों के उल्लंघन संबंधी चेतावनियों के आधार पर या ओसीईएमएस के ऑफ़लाइन हो जाने पर उद्योगों का नियमित निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के दौरान किए गए प्रेक्षणों के आधार पर, सीपीसीबी मौजूदा नियमों के अनुसार दोषी उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई करता है।

v. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी में उद्योग के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

(च) और (छ): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों के किसी उल्लंघन की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

*****